आप0 प्रकरण क्रमांक– 2019/22
शासन विरूद्व सुनील कुमार मंडावी

Witness No…......................**03**..,for–.............**अभियोजन**................. ,

Deposition taken on the **.06.11.2023.,** day of - witness's apparent age **–............ वर्ष**

States affirmation on oath…....**शपथपूर्वक**.... my name is **–अतुल देवांगन**

W of – ....occupation..........**आबकारी उपनिरीक्षक**

Address – ....**आबकारी वृत्त, गुरूर**

मुख्य परीक्षण प्रारंभ समय 11.30 बजे।

01. मैं जून 2022 से नवम्बर 2022 तक में गुरूर आबकारी वृत्त में उपनिरीक्षक के रूप में पदस्थ था। दिनांक 22.09.2022 को थाना–गुरूर के अपराध क्र0 417/22 धारा 34–1–ख आबकारी एक्ट में जप्तशुदा शराब के परीक्षण हेतु थाना–गुरूर से तहरीर पत्र प्राप्त हुआ। एक सफेद प्लास्टिक थैला में सीलबंद रखे 18 नग पाव देशी प्लेन मदिरा प्रस्तुत किया गया। उक्त थैला में से 04 नग शीशियों को सील तोड़कर जांच करने पर निम्नानुसार पाया गया:–

02. अपराध क्र0 417/22 धारा 34–1–ख आबकारी एक्ट के तहत अभियुक्त सुनील कुमार मंडावी द्वारा आरक्षक बलदेव मंडावी क्रमांक 381 जांच हेतु प्रस्तुत सामग्री की सभी शिशियों की सील तोड़कर उसमें भरे द्रव्यों की जांच करने पश्चात निम्नानुसार पाया गया– **1.** देखने पर रंगहीन होना पाया एवं शीशियों पर देशी मदिरा प्लेन का लेबल अंकित होना पाया, **2.** सुंघने पर देशी मदिरा प्लेन का सुपरिचित गंध होना पाया गया, **3.** चखने पर देशी प्लेन मदिरा का सुपरिचित स्वाद। **4.** नीला लिटमस पेपर से परीक्षण करने पर पेपर का रंग अपरिवर्तित होना पाया। **5.** थर्मामीटर एवं हाईड्रोमीटर से तेजी मापने पर देव की तीव्रता

50.6 यू.पी. होना पाया गया। उपरोक्त परीक्षण प्राप्त प्रशिक्षण तथा कार्य अनुभव के आधार पर प्रस्तुत तरल पदार्थ को देशी मदिरा प्लेन होना सिद्ध पाया गया। बाद जांच प्रस्तुत मदिरा को सील चपड़ा से सीलबंद कर प्रस्तुतकर्ता आरक्षक को वापस किया गया। मौके पर मदिरा परीक्षण प्रतिवेदन तैयार किया गया जो **प्र. पी–15** है जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है एवं ब से ब भाग पर नमूना सील है।

/ / **प्रतिपरीक्षण द्वारा अधिवक्ता श्री सूरज पटेल वास्ते आरोपी** / /

03. यह कहना सही है कि मैंने आरक्षक बलदेव मंडावी से प्राप्त किया था। यह कहना गलत है कि जप्तशुदा माल आरक्षक बलदेव मंडावी से प्राप्ति का पावती पेश नहीं किया हूं। यह कहना सही है कि मैं जप्तशुदा माल को देखा था। यह कहना सही है कि मैं जप्तशुदा माल पर किस कंपनी का लेबल लगा हुआ था मैं नहीं बता सकता। साक्षी स्वतः कहा कि मेरे पास प्रस्तुत की गई 18 पौवा में से सभी में देशी प्लेन मदिरा का लेबल लगा हुआ था। यह कहना गलत है कि जप्तशुदा माल सीलबंद नहीं था। यह कहना सही है कि जप्तशुदा माल के सील को तोडने का पंचनामा तैयार नहीं किया था। यह कहना सही है कि मैंने जांच उपरांत वापस करने का पावती मैंने पेश नहीं किया है।

04. यह कहना सही है कि मैं रासायनिक परीक्षण नहीं किया हूं। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि नीला लिटमस पेपर में मिट्टी तेल डालने पर क्या परिणाम आता है। यह कहना गलत है कि मेरे द्वारा किसी प्रकार का मदिरा परीक्षण नहीं किया गया है। यह कहना सही है कि मैने केवल 04 नग शीशियों का सील तोड़कर जांच किया हूं एवं 14 नग देशी प्लेन मदिरा शराब का

परीक्षण नहीं किया है। स्वतः कथन है कि प्रस्तुत 18 नग पाव में से रेंडम आधार पर चुनकर 04 पाव का परीक्षण किया है। यह कहना गलत है कि जांच के संबंध में मुझें किसी भी प्रकार का ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ था। यह कहना सही है कि जिस दिन मुझें शराब परीक्षण का ज्ञापन प्राप्त हुआ उसी दिन मैने शराब का परीक्षण किया है। यह कहना गलत है कि मैने मदिरा परीक्षण प्रतिवेदन दिया है उसे परीक्षण न कर मात्र द्रव्य को देखकर दिया है।

प्रतिपरीक्षण समाप्त समय 02:50 बजे।

गवाह को पढकर सुनाया गया,
सही होना स्वीकार किया।

HEMANT RAJ DHURVE Digitally signed by HEMANT RAJ DHURVE

(हेमन्त राज धुर्वे)
न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी
जिला–बालोद (छ0ग0)

मेरे निर्देशन में टंकित

HEMANT RAJ DHURVE Digitally signed by HEMANT RAJ DHURVE

(हेमन्त राज धुर्वे)
न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी
जिला–बालोद (छ0ग0)

गवाह का हस्ताक्षर